

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली  
पीठासीन अधिकारी:- श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :- 150/2025

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. सुखाराम पुत्र नेतीराम जाति मेघवाल निवासी रेपड़ावास तह0 सोजत जिला पाली राज0।		1. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित:-

1. श्री रविन्द्र बोहरा अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।

:- निर्णय :-

दिनांक :- 08/10/25

अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम रेपड़ावास पटवार हल्का रेपड़ावास, भू0अ0नि0 क्षेत्र चाड़वास तहसील सोजत के सिवायचक खसरा नम्बर 299 रकबा 0.5500 है0 की कृषि भूमि में से आवागमन हेतु 30 फुट चौड़ा रास्ता प्रार्थी की खातेदारी खसरा नंबर 296/1 रकबा 0.5700 है0 में पहुंचने का प्राप्त करने का कानूनी अधिकारी हैं। प्रार्थी के अपनी भूमि पर आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। प्रार्थी नियमानुसार रास्ते की राशि जमा करवाने हेतु तैयार है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राज0 काश्त0 अधि0 मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर प्रा0 पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये उक्त कदीमी रास्ता जो सरहद मौजा रेपड़ावास के खसरा नंबर 299 कृषि भूमि में से 30 फुट चौड़ा रास्ता दिलवाये जाने तथा राजस्व नक्शे में तरमीम किये जाने की ईशतदुआ की हैं।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। पर्याप्त अवसर के बावजूद जबाब प्रा0पत्र पेश नहीं करने से अवसर समाप्त कर जबाब प्रा0पत्र बंद किया गया।

तहसीलदार सोजत से प्रार्थित रास्ते के सम्बन्ध में वांछित तीनो बिन्दु यथा उपलब्ध वैकल्पिक/निकटतम रास्ता, सुविधा जनक उपयोग हेतु आवेदन, अत्यांतिक आवश्यकता है अथवा नहीं से सम्बद्ध बरूवे मौका रूबरू उभय पक्षकारान मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा चाही गई। तहसीलदार, सोजत ने अपने पत्रांक/रीडर/2024/1066 दिनांक 05.08.2025 के जरिए प्रस्तुत मौके की वस्तुस्थिति मय नजरी नक्शा सा0मि0 की गई। तहसीलदार सोजत द्वारा सम्बन्धित पटवारी, भू0अभि0निरी0 चाड़वास द्वारा तैयार फर्द मौका रूबरू प्रार्थी पक्षकार एवं मौतबिरान तैयार मय नजरी नक्शा रिपोर्ट में अंकित किया कि ग्राम

रेपड़ावास के ख0नं0 296/1 के खातेदारी भूमि से लगता हुए रास्ता राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज नहीं हैं। नजरी नक्शा में दर्शया प्रस्तावित नजदिकी रास्ता ए से बी ख0नं0 299 किस्म बा0अ0 सिवाय चक में से लम्बाई 8 मीटर रकबा 0.0040 है0 होता हैं। आगे रास्ता ए से बी ख0नं0 270 किस्म गै0मु0 रास्ता से मिल जाता हैं। किन्तु रास्ता ए से बी ख0नं0 299 में से देने से मजारी खसरा सं0 299 दो भागो में बंट जाता हैं। भाग अ का रकबा 0.0400 है0 तथा भाग ब का रकबा 0.5060 है0 होगा। ख0नं0 296/1 के दुसरा नजदिकी रास्ता ख0नं0 297 किस्म बा0अ0 खातेदार घनश्याम पुत्र धुलदास 1/4 देवाराम पुत्र नरमाराम 1/4 मदन पुत्र धुलदास 1/4 रामचन्द्र पुत्र धुलदास 1/4 जाति साद सा0 देह खातेदार में से प्रस्तावित रास्ता सी से डी लम्बाई 81 मीटर रकबा 0.0400 है0 बनता हैं। जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0 कीमत 177000/- रुपये प्रति हैक्टर है। तहसीलदार, सोजत भू0अ0 निरीक्षक वृत्त चाड़वास की मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा लाल स्याही से दर्शित संलग्न पत्रावली किया गया।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि ख0नं0 296/1 में आने जाने के लिये उक्त कदीमी रास्ता जो सरहद मौजा रेपड़ावास के खसरा नंबर 299 कृषि भूमि में से 30 फुट चौड़ा रास्ता दिलवाये जाने तथा राजस्व नक्शे में तरमीम किये जाने की ईशतदुआ की हैं। जवाब बहस में अप्रार्थी तहसीलदार सोजत द्वारा विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्षों को सुना तथा राजस्व रेकॉर्ड मय मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन किया। यहा सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जिसके अनुसार "1. यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नहीं है और 2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है।" चूँकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी जोत में पहुँच हेतु राजस्व रेकॉर्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं हैं। तहसीलदार, सोजत भू0अ0निरी0 चाड़वास, पटवारी हल्का की रिपोर्टनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0नं0 296/1 में पहुंच हेतु निकटतम रास्ता ए से बी सिवायचक खसरा नं0 299 से होकर ख0नं0 270 किस्म गै0मु0 रास्ता तक जाता हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी न्यायालय के समक्ष Clean Hand से उपस्थित हुए है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के Mandatory Provision को पूर्ण करने तथा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्तानुसार देय प्रतिकर की दोगुणा भूमि रास्ता प्रयोजनार्थ दिलवाया जाना उचित समझते है।

—: आदेश :-

अतः उपरोक्त विवेचना/विश्लेषणानुसार अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया

जाता है। सरहद मौजा ग्राम रेपडावास पटवार हल्का रेपडावास, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चाडवास तहसील सोजत के वर्तमान खसरा नम्बर 299 रकबा 0.5500 है। कृषि भूमि में से आवागमन हेतु रास्ता प्रार्थी की खातेदारी खसरा नम्बर 296/1 रकबा 0.5700 है। पंधुचने हेतु सम्बद्ध खातेदारानों के नाम के आगे अंकित कृषि भूमि में से  $(177000/- \text{ रु} \times 2 \times 0.0072 \text{ है} = 2549/- \text{ रुपये}$  उनके नाम के सामने अंकित भूमि प्रतिकर देय राशि का भुगतान निम्नांकित रूप से उनके हिससेनुसार तहसीलदार, सोजत द्वारा (डी०एल०सी० की दर से दो गुणा प्रतिकर राशि) करवाये जाने पर उपलब्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र०सं०	ख०न० व किरम	कुल रकबा (है०) में	खातेदारों/काश्तकारों के नाम मय वलदियत कौमियत व सकूनत	रास्ते की भूमि का रकबा है० में	प्रतिकर की राशि रुपये में (डी०एल०सी० की दौगुना)
01.	299 बा०अ०	0.5500 है०	राज० सरकार	8 मी०× 9 मी० = 0.0072 है०	2549/-रु

उक्त रास्ते का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा। तहसीलदार, सोजत स्तर पर उक्त आदेश की पालना अर्थात् प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जावें। निर्णय की प्रति व मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय का एक भाग माना जाये एवं इनकी प्रति तहसीलदार, सोजत को भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ़्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)

सहायक कलक्टर, सोजत  
सोजत (राज०)

यह निर्णय आज दिनांक ११/०१/२०२० को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मासिंगा राम)

सहायक कलक्टर, सोजत  
सोजत (राज०)